भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
हबीबगंज भोपाल–462024

दूरभाष – 0755 2680250 से 53
E-mail- sanchi.bhopal@gmail.com

''अभिरूचि की अभिव्यक्ति''

''साँची रेलवे मिल्क पार्लर संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है।''

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्र.04/05 के मुंबई छोर पर स्थित साँची रेलवे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए **अनुसूचित जाति (एस.सी) वर्ग** के इच्छुक आवेदकों से भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक आवेदनकर्ता इस कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र एवं अन्य नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते हैं। पार्लर आवंटन हेतु कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तीथि एवं समय	दिनांक 28.06.2023 को www.sanchidairy.com से समय 12:00 बजे से
2.	आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 18.07.2023 समय 01:00 बजे तक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल
3.	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में दिनांक 18.07.2023 एवं समय 03:00 बजे से
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू.10000/– (राशि रू. दस हजार मात्र) की डी.डी.

आवेदनकर्त्ता मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवसी होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र www.sanchidairy.com से डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवदेन पत्र में वितरक कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रू.500/– की डी.डी. सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मे ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। आवेदन प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत स्वीकार योग्य नहीं होंगे। प्राप्त आवेदनों को खोलने एवं परीक्षण की कार्यवाही दिनांक 18.07.2023 को दोपहर 03:00 बजे से की जाएगी। आवेदन भरने संबंधी सम्पूर्ण जानकारी भोपाल दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त की जा सकती है। किसी भी आवेदन को सकारण निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा।

इस आवेदन में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शित वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जावेगा। अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक ....

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

इटारसी रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्र.04 / 05 मुंबई छोर पर स्थित मिल्क पार्लर आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र वर्ष 2023

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024
दूरभाष – 0755–2481995
फैक्स नम्बर – 0755–2450896
E- mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

''साँची रेलवे मिल्क पार्लर हेतु आवेदन प्रपत्र''

1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 28.06.2023 से दोपहर 12:00 बजे से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 18.07.2023 दोपहर 01:00 बजे तक
3.	प्राप्त आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 18.07.2023 दोपहर 03:00 बजे
3.	आवेदनकर्ता का आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र क्र. 01
4.	साँची रेलवे पार्लर आवंटन हेतु आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्तें	प्रपत्र क्र. 02
5.	साँची पार्लर हेतु अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 04

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य बिन्दुः–

1. प्रपत्र क्र. 01 ''आवेदनकर्ता का आवेदन प्रपत्र'' एवं प्रपत्र क्र. 02 '' पार्लर संचालन की शर्तें '' की प्रतिपूर्ति कर एवं हस्ताक्षरित कर एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।
2. लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर आवेदनकर्ता, अपना नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में विज्ञापन में वर्णित अनुसार निर्धारित दिनांक को दोपहर 12:00 बजे तक जमा करें। पार्लर संचालन हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

प्रपत्र क्रमांक–1

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्र.04 / 05 के मुंबई छोर पर स्थित साँची मिल्क पार्लर के संचालन कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरा आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ मांगी गई ई.एम.डी. राशि रू.10,000 / – (रूपये दस हजार मात्र) की डी.डी. / बैंकर्स चैक क्रमांक ....दिनांक .... संलग्न कर रहा हूँ।

आवश्यक अर्हताएं

क.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) है।		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र / पार्टनरशिप डीड / पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2.	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
3.	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) का वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का आयकर जमा (ITR) रिर्टन संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 की आयकर रिर्टन की छायाप्रति संलग्न करें।
4.	ई.एम.डी. राशि रू.10000 / – (दस हजार रूपये) की डी.डी. / बैंकर्स चैक लगाना अनिवार्य है।		ई.एम.डी. राशि रू.10000 / – (दस हजार रूपये) की डी.डी. / बैंकर्स चैक संलग्न करें।
5.	आवेदनकर्ता (सोल प्रोपाइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी को कभी भी किसी भी कार्य से किसी भी शासकीय / अशासकीय संस्था से ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है एवं आवेदक का किसी भी मा.न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है एवं किसी भी पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण / एफआईआर दर्ज नही है। (इस बाबत् रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		आवेदन पत्र के प्रपत्र क्र.03 पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू. 100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।
6.	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आवेदन पत्र क्रय मूल्य रू.500 / – की डीडी / बैंकर्स चेक संलग्न करें।		आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) द्वारा आवेदन पत्र के लिए क्रय किये गए रू.500 / – की डीडी / बैंकर्स जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्घ संघ मर्यादित,भोपाल के नाम से देय होगी, संलग्न करें।

7.	म.प्र. राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र।		म.प्र. शासन द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
8.	अनुसूचित जाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र।		अनुसूचित जाति वर्ग होने पर जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर पार्लर आवंटन निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ––––––––––––––––––––––––

नाम :– ––––––––––––––––––––––––

पता :– ––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––

टेलीफोन नं.––––––––––––––––––––––––

मोबाईल नं ––––––––––––––––––––––––

साँची रेलवे पार्लर आवंटन हेतु आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्ते :–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदन के साथ स्वप्रमाणित फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक को दो जमानतदार देना अनिवार्य है जिसमें से एक सरकारी कर्मचारी का होना आवश्यक है। जमानतदारनामे का प्रारूप आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.04 में संलग्न है एवं प्रपत्र क्र.05 शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है, जिसे सफल आवंटी को पार्लर आवंटन के पश्चात् प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदक का आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात् एक माह के अंदर स्वयं का जी.एस.टी नम्बर/एफ.एस.एस.ए.आई लाईसेंस उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
5. जमानतदार जमानत देने पर यदि एजेंट द्वारा दुग्ध संघ को देय कोई राशि वसूली हेतु दुग्ध संघ जमानदार पर न्यायलयीन कार्यवाही करेगा।
6. आवंटन की दशा में आवेदक को दुग्ध संघ एवं आईआरसीटीसी/रेलवे के साथ एक ट्राइपार्टी अनुबंध हस्ताक्षर करना होगा।
7. रेलवे द्वारा मिल्क स्टॉल आवंटन की नीति में परिवर्तन होने या अन्य कारण से जो भी गाईडलाईन जारी की जाती हैं उसका पालन दुग्ध संघ आवेदक/एजेंट को करना होगा।
8. <u>चयन प्रक्रिया –</u>
   इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्र.04/05 के मुंबई छोर पर स्थित साँची रेलवे मिल्क पार्लर एस.सी वर्ग के आवेदकों के लिये आरक्षित है। अतः केवल एस.सी. वर्ग के आवेदक ही इस चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। अन्य वर्ग के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

8.1 चयन प्रक्रिया के समय यदि उक्त पार्लर हेतु केवल एक आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में आवश्यक अर्हताओं के परीक्षण उपरांत सभी अर्हताएं सफल पाए जाने की दशा में उक्त पार्लर का आवंटन आवेदन की शर्तों के अंतर्गत किया जाएगा एवं यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में पार्लर का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से होगा।

9. यद्यपि भोपाल दुग्ध संघ द्वारा रेलवे पार्लर हेतु राशि रू.100000/– (एक लाख रूपये) बतौर प्रतिभूति राशि निर्धारित है परन्तु एस.सी वर्ग के आवेदक का चयन होने पर उसे उक्त प्रतिभूति राशि में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता होगी।
10. मिल्क पार्लर का आवंटन एजेंट स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है, या दुग्ध संघ द्वारा निरस्त किया जाता है तो प्रतिभूति राशि रिफंड लेने के पूर्व एजेंट को आईआरसीटीसी एवं रेलवे के संबंधित शाखाओं से नो–ड्यूज़ (No dues certificate) सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा।
11. आईआरसीटीसी/रेलवे द्वारा निर्धारित लायसेंस फीस एजेंट को जमा करना होगी एवं विद्युत/पानी/डीप–फ्रीजर आदि व्यय एजेंट द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
12. अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. रेलवे मिल्क पार्लर से दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित दूध एवं दुग्ध पदार्थ/रेलवे द्वारा स्वीकृत पैक्ड पेय जल के ही विक्रय करने की अनुमति होगी इसके अतिरिक्त एजेंट द्वारा अन्य खाद्य/पेय पदार्थ विक्रय करते हुए पाए जाते हैं तो आईआरसीटीसी/रेलवे द्वारा जो भी एजेंट के विरूद्ध कार्यवाही कर जो भी अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो उसका वहन एजेंट को स्वयं करना होगा।
14. पार्लर संचालक, पार्लर से दूध एवं दूध उत्पादों का विक्रय दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित उपभोक्ता मूल्य पर करेंगें। यदि दुग्ध संघ अथवा रेल्वे द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान पार्लर से दूध एवं दूध उत्पाद निर्धारित दरों से अधिक दरों पर विक्रय करते हुए पाए जाते है तो ऐसी स्थिति में अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
15. आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पूर्व से रेलवे मिल्क पार्लर आवंटित हो तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. यदि कोई ऐसे आवेदक का आवेदन प्राप्त होगा जिसका दुग्ध संघ में रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में दुग्ध संघ की नीतियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

17. यदि एजेंट/आवंटी एवं दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वाद आर्बीट्रेशन हेतु संबंधित दुग्ध संघ के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जाएगा एवं उसके द्वारा किया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एंड काउंसिल अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।
18. समस्त विवादों के निराकरण के लिये न्यायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर होगा।
19. मिल्क पार्लर पर कार्यरत सेल्स मेन को आईआरसीटीसी द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड अनुसार ड्रेस पहनना अनिवार्य है।
20. सेल्स मेन को ड्रेस में नेम प्लेट लगा के रखना होगा।
21. आवेदन में वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरना है एवं आवेदन के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर वह निरस्त कर दिया जाएगा एवं उक्त आवेदन को लॉटरी हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
22. पार्लर संचालक को ट्रेनों में अधिकृत वेंडर्स के माध्यम से ही रेल्वे एवं दुग्ध संघ से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही भेजेंगें अन्यथा औचक निरीक्षण के दौरान ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडर विक्रय करने पाए जाते है तो ऐसी स्थिति में पार्लर आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी जवाबदेही पार्लर संचालक की होगी।
23. पार्लर संचालक को पार्लर में दूध एवं दूध उत्पादों के प्रचार–प्रसार की सामग्रीयां अपने स्वयं के स्तर से लगानी होगी। इस हेतु दुग्ध संघ से पृथक से कोई भुगतान देय नही होगा।
24. पार्लर संचालक को आवंटन के पश्चात् दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित स्मार्ट पार्लर का निर्माण अपने स्वयं के व्यय से करना होगा। इस हेतु स्मार्ट पार्लर की डिजाइन आवेदक को दुग्ध संघ से प्राप्त करनी होगी।
25. पार्लर संचालक को स्वयं के व्यय से रेलवे प्रशासन से खाद्य विभाग का लायसेंस, सेल्स मेन के पुलिस वेरिफिकेशन तथा अनय संबंधित दस्तावेज बनवाने होंगे।
26. चयन उपरांत सफल आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी परिस्थिति में उसे आवंटित रेलवे मिल्क पार्लर को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करेगा तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया जा सकेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।

मैंने उपरोक्त आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तों तथा अनुबंध की शर्तों को भलीभांती पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मुझे आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तों तथा अनुबंध की सभी शर्तें मान्य है एवं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता का नाम एवं पता

प्रपत्र क्र. 03

शपथ पत्र (केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं/हम............................... आत्मज.................. आयु................... पता................................ यह कि अपने पूर्ण होशो–हवास एवं ईमानदारी पूर्वक यह शपथ पत्र प्रस्ततु करता/करती/करते हूँ/हैं कि.......

1. मुझे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी कार्य से ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है तथा मेरा किसी भी मा. न्यायालय में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नही है एवं न ही किसी भी पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/चल रहा है।
2. मेरे/हमारे द्वारा पार्लर आवंटन की स्थिति में खुले अथवा अन्य ब्रांड के दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय नही किया जाएगा।

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मैं/हम अपनी सहमती देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक– ....

गवाह–

1 नाम ....
पता– ....
....
....
मो.नं.– ....
आधारकार्ड नं.– ....

2 नाम– ....
पता–................................
....
....
मो.न.– ....
आधारकार्ड न–.........................

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता
नाम–
पता–......................
....
....
मो.नं.

प्रपत्र क्र.04

जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व .... आत्मज श्री .... आयु......... .... मे है कि, कार्यालय .... प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री .. .. आयु .... निवासी .... के बीच आज दिनांक ....को पार्लर अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये हुए नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नही की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल–अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैने आज दिनांक .... को लिख दिया है।

गवाह :	जमानतदारः
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम..	नाम..
पता..	पता..
मोबाइल...	मोबाइल..

प्रपत्र क्र.05

शपथ पत्र

मै.. आत्मज श्री .... आयु निवासी...
.... शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि

1. मैने आज दिनांक .... को यह अनुबंध करार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित भोपाल से दूध एवं दुग्ध पदार्थ साँची पार्लर के माध्यम से विक्रय हेतु किया है जिसकी समस्त सेवा शर्तें मुझे मान्य है।
2. यह कि यह शपथ पत्र मे प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूॅं तथा यह शपथ पत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहिता................................

सत्यापन

मै .... सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक .... को .... में किया गया।

शपथग्रहिता..............................